न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 1056 सन 2025

अनवान :–

1. इन्द्राज पुत्र गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. बगतावरी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. निमो देवी पुत्री गापत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सोमती देवी पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. भंवरलाल पुत्र राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मांगीलाल पुत्र राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. मीरा पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सरस्वती देवी पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सावित्री पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/01/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 के प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक भूमि वादी के पूर्वजो की पैदा करदा /नोतोड करदा भूमि थी।

रोही मौजा बिरकाली के साबिका खसरा न0 292मि की 25.00 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है तथा भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा खसरा परिर्वतन के द्वारा पर्चा खतौन जारी करते समय खसरा न0 से प0न0 किला न0 में परिवर्तन करते समय रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 के प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक मे परिर्वतन पैमुद किये गये है जो पर्चा खतोनी से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पूर्वज गणपतरा की मृत्यू हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है व अपने कब्जा काश्त व हक हिस्सा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 की कुल 6.0720हैक भूम को अराजीकाश्त बाद का दर्ज कर रखा है जो गलत है वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की सम्वत 2012 से पूर्व की नातोड करदा भूमि है इसलिये राजस्व रिकार्ड में भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहवन से अराजीकाश्त बाद का दर्ज हो गया है जबकि वाद भूमि अराजीकाश्त पूर्व की है अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682 की कुल 6.0720हैक्‍ भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गणपत पुत्र शेरा जाति बावरी के कब्जा काश्त में थी जिसके देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी अपने पूर्वजों के द्वारा नोतोड करदा भूमि है जो वर्तमान में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (3)(2क) व आरटीएक्ट द्वितीय संसोधन एव राजस्थान सरकार के राजस्व गुप– 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5 (3)राज/4180/6/17 जयपुर दिनांक 28.12.2017 की शर्तो की पूर्णरूप से पालना करते है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा जाति बावरी की सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जा पूर्व में वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में रही थी एवं वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा जाति बावरी के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने पूर्वज के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व नोतोड की गई भूमि जो वादी के पूर्वज गणतपराम के देहान्त होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं।

वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के द्वारा रोही मौजा बिरकाली बारानी की वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी जो पूर्व में वादी के गणपतराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में रही थी वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द श्शेरा के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए के तहत स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु आदिनांक तक गैरखातेदार दर्ज कर रखा है वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से गणतपराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में वाद भूमि थी इसलिये वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नही की गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हकों की घोषणा करवा कर वाद भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 की कुल 6.0720हैक्‍ भूमि में गणपतराम वल्द शेरा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 3/4 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर [illegible] किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया [illegible] 2 ता 9 का अनुतोष वादी में निहित होने के कारण तर्क किया गया जिसके कारण जवाबी नही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में मौका

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिपोर्ट पेश की वाद भूमि आ.का.बाद का गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है वाद भूमि गणपतराम वल्द शेरा के नाम से दर्ज हे किसी प्रकार का विवाद नही है ना ही किसी राजकीय कार्य हेत आरक्षित है वाद भूमि का मिलान पर सिलिग सीमा से अधिक भूमि नही है विशेष आवंटन की श्रेणी में नही है किसी प्रकार का प्रभार बकाया नही है गणपतराम के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली के साबिका खसरा न0 292मि की 25.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है तथा भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा खसरा परिर्वतन के द्वारा पर्चा खतौन जारी करते समय खसरा न0 से प0न0 किला न0 में परिवर्तन करते समय रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 के प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक्‍ मे परिर्वतन पैमुद किये गये है जो पर्चा खतोनी से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पूर्वज गणपतरा की मृत्यू हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है व अपने कब्जा काश्त व हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 की कुल 6.0720हैक्‍ भूम को अराजीकाश्त बाद का दर्ज कर रखा है जो गलत है वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम की सम्वत 2012 से पूर्व की नातोड करदा भूमि है इसलिये राजस्व रिकार्ड में भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहवन से अराजीकाश्त बाद का दर्ज हो गया है जबकि वाद भूमि अराजीकाश्त पूर्व की है अर्थात सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682 की कुल 6.0720हैक्‍ भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गणपत पुत्र शेरा जाति बावरी के कब्जा काश्त में थी जिसके देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी अपने पूर्वजों के द्वारा नोतोड करदा भूमि है जो वर्तमान में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15एएए (3)(2क) व आरटीएक्ट द्वितीय संसोधन एव राजस्थान सरकार के राजस्व गुप– 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5 (3)राज/4180/6/17 जयपुर दिनांक 28.12.2017 की शर्तो की पूर्णरूप से पालना करते है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के द्वारा रोही मौजा बिरकाली बारानी की वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी जो पूर्व में वादी के गणपतराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में रही थी वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द श्ज्ञेरा के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए के तहत स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु [illegible] रखा है वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से गणतपराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में वाद भूमि थी इसलिये वाद भूमि वादी के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गणपतराम वल्द शेरा के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नही की गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवा कर वाद भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 की कुल 6.0720हैक भूमि में गणपतराम वल्द शेरा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 3/4 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 की 6.0720हैक की भूमि जो वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा पर्चा खतौनी एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीकाश्त बाद की दर्ज है वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली की भूमिया उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक्ट एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 292 की कुल 25.00 बीधा भूमि गणतपराम वल्द शेरा जाति बावरी के नाम से दर्ज है अर्थात गणपतराम वल्द शेरा के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जो प्रस्तुत जमाबन्दी/गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 से पूर्णत्या साबित है।

गणपतराम वल्द शेरा जाति बावरी का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के नाम अराजीकाश्त बाद की दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

वाद भूमि गणपतराम वल्द शेरा सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जो प्रस्तुत गिरदावारीयो /जमाबन्दी से साबित है उक्त नोतोड करदा भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गणतपराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो पटवारी हल्का /तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 292 की 25.00 बीधा भूमि को हाल रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक में परिर्वतन/पैमुद किये गये है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा बिरकाली के हाल प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक भूमि जो वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में है किसी प्रकार का विवाद स्थगन नही है नगर पालिका पेराफेरी में नही है किसी प्रकार का कोई बकाया नही है तथा मौका पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के द्वारा काश्त की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा को रोही मौजा बिराकली बारानी के साबिका खसरा न0 292 की 25.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वर्तमान प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक्ट में पैमुद की गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के नाम से गैरखातेदारी दर्ज एवं वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आर रही है।

वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा गणपतराम वल्द शेरा के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी प्रस्तुत नही हुआ है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 292 की 25.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के कब्जा काश्त में रही तथा अब वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो/ गिरदावारीयों एव पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्याा साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया।

वाद भूमि गणपतराम वल्द शेरा के नाम जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में नाम दर्ज हे अर्थात वादी के पिता गणतपतराम वल्द शेरा के द्वारा भूमि नोतोड करदा है जो सम्वत 2012 से 2015 का काश्तकार है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है पर्चा खतोनी तेयारी के सम्बध आराजी काश्त पूर्व के स्थान पर अराजीकाश्त बाद का दर्ज किया गया है जिसे संशोधन किया जा सकता है सहवन हुई गलती से वादी के हक प्रभावित नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवाने का अधिकारी है

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार गणतपराम वल्द शेरा के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयों से साबित है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10. 1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10. 1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व [illegible] दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि वर्तमान में रोही मौजा बिरकाली [illegible] उपनिवेशन क्षेत्र धोषित/शामिल हो चुका है इसलिये उपनिवेशन [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम [illegible] भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित [illegible] था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया [illegible] करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–प्प दिनांक 25.07.2017 को जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को एक पत्र लिया गया है जिसका सार है कि गांव बिरकाली वर्ष 2000 में आई.जी.एन.पी. से भाखड़ा में आने से प्रभावित काश्तकारो के प्रकरणो के सन्दर्भ में 22.07.1998 व 19.05.2010 के परिपत्रों को लागू माानते हुए कार्यवाही करनी चाहिए

वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा जाति बाबरी (जो अनुसूचित जाति का सदस्य है) को रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 292 की 25.00 बीधा हाल प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानो के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात वादी के पूर्वज के गणपतराम वल्द शेरा के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादी के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवंश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नही करने से वादी के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादी ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी के पूर्वज गणपतराम वल्द शेरा के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादी के पूर्वज गणतपराम वल्द शेरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है तथा गणपतराम वल्द शेरा का देहान्त हो चुका हे जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है अर्थात वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाऐं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 के प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 3/4 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. इन्द्राज पुत्र गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. बगतावरी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. निमो देवी पुत्री गापत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सोमती देवी पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. भंवरलाल पुत्र राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मांगीलाल पुत्र राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. मीरा पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सरस्वती देवी पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सावित्री पुत्री राजोदेवी पुत्री गणपत जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1056 सन 2025 निर्णय दिनांक – 08/01/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 682/578 के प0न0 157/7 (681) के किला न0 10 ता 25 प0न0 157/8(702) के किला न0 2 ता 5, प0न0 157/15 (682) के किला न0 11 ,20 ,21 ,22 कुल 6.0720हैव भूमि जो वर्तमान में भाखडा परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 3/4 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बहिब 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

सहायक अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)